झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–84 / 2020

मीना देवी ....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री एम0बी0 लाल, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: श्री अरूण कु0 पाण्डेय, ए0पी0पी0।

02 / 14.01.2020 श्री एम0बी0 लाल, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्री अरूण कु0 पाण्डेय, राज्य के लिए विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता जी0आर0 संख्या 63 / 2019 के अनुरूप देवरी थाना काण्ड संख्या 168 / 2018 के संबंध में एक आरोपी है।

सूचक की बेटी की शादी पाँच साल पहले अजय सिंह के साथ हुई थी। यह आरोप लगाया गया है कि मोटरसाईकिल की मांग थी और गैर–पूर्ति पर उसे यातना दी गई थी। 22.10.2018 को सूचना मिली कि उनकी बेटी गम्भीर रूप से बीमार है और बाद में सूचक को पता चला कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है।

याचिकाकर्त्ता, मृतक की सास प्रतीत होती है और मृतक के पति अजय सिंह उर्फ अजय कुमार सिंह को बी0ए0 संख्या 1940/2019 में इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दे दी गई है। याचिकाकर्त्ता 09.11.2019 से हिरासत में है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त नामित याचिकाकर्त्ता को 10,000/– (दस हजार) रूपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान एस0डी0जे0एम0, गिरिडीह के संतुष्टि पर, देवरी थाना काण्ड संख्या 168/2018 तद्नुसार जी0आर0 संख्या 63/2019 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)